न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA2016-00155Ju2016-92 Gordhandas Vs Lrs of Rajendra Singh Indra Kanwar etc

गोरधनदास पुत्र जानकी दास, जाति साद (वैष्णव), निवासी- घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह के कायम मुकाम
   1.1. इन्द्रा कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह
   1.2. संगीता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह
   1.3. निचिता पुत्री राजेन्द्र सिंह
   निवासी प्लॉट संख्या 269 स्कीम नंबर 3 बसंत विहार, अलवर, जिला अलवर।
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह जाति पुरोहित, निवासी- घेवड़ा, जिला जोधपुर, हाल सी-63 सेठी कॉलोनी आगरा रोड़, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. संजय सिंह पुत्र मदन सिंह जाति पुरोहित, निवासी- घेवड़ा, हान निवासी- प्लॉट संख्या 268 स्कीम नंबर 3 बसंत विहार, अलवर, जिला अलवर।
4. देवीदास पुत्र मनोहरदास
5. नाथूदास पुत्र मनोहरदास
6. पुरूषोतम दास पुत्र मनोहर दास
7. माडी देवी पत्नी मनोहर दास
8. भंवरी पुत्री मनोहर दास
9. मनफुलदास पुत्र जानकीदास
10. सुखदेव पुत्र मनफूलदास
   समस्त जातियान् साद (वैष्णव) निवासी- घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 12 जुलाई 2016 राजस्व मूल वाद संख्या 98/2016 गोरधनदास बनाम राजेन्द्र सिंह

------- 0 -------

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मनोहर लाल पालीवाल, अधिवक्ता-रेस्पो संख्या 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 14 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 98/2016 गोरधनदास बनाम राजेन्द्रसिंह में पारित निर्णय दिनांक 12 जुलाई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 08 सितंबर 2016 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 165 रकबा 61.14 बीघा, खसरा नं. 167 रकबा 28.12 बीघा, खसरा नं. 209 रकबा 33.11 बीघा ग्राम शिवनगर एवं खसरा नं. 427 रकबा 12 बीघा ग्राम घेवड़ा के संबंध में पेश किया। पत्रावली प्रतिवादी संख्या एक की कायम मुकाम कार्यवाही में विचाराधीन चलने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट पांचला खुर्द मे रखी जाकर दावा जरिये अबेट दिनांक 12 जुलाई 2016 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को न तो लोक अदालत केम्प पांचला खुर्द का नोटिस दिया गया था न ही अपीलांट के अधिवक्ता को कोई नोटिस एवं सूचना दी गई थी। बिना नोटिस एवं बिना सूचना दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले निरस्त है। राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण किया जाता है, जिनमें पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होता है। जिन प्रकरणों में राजीनामा नहीं होता, उन प्रकरणों का निस्तारण नहीं होता है, उनका निर्णय नहीं किया जा सकता था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था, फिर भी प्रकरण को अबेट मानकर खारिज करने में कानूनी भूल की गई है। दावे में प्रतिवादी संख्या एक के अलावा अन्य पक्षकार भी थे, इसलिए एक प्रतिवादी फौत होने पर संपूर्ण दावा अबेट नहीं हो जाता है, इस कानूनी बिंदु के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। किसी भी प्रकार का आदेश पारित कराने से पूर्व पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना कानूनी एवं विधि अनुसार आवश्यक है। इसके बिना पारित किया गया कोई आदेश भी त्रुटिपूर्ण है, जिसको निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दावे को अबेट मानते हुए खारिज किया गया है, जिसमें डिक्री पर्चा नहीं बनाया गया है, इसलिए इस अपील के साथ डिक्री पर्चा पेश नहीं किया गया है, आदेश के अंतिम भाग को डिक्री पर्चा का भाग माने जाने का निवेदन किया। अंत मे अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 जुलाई 2016 को खारिज किया जावे तथा मामला गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में वकील रेस्पोडेंट संख्या चार ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 की कायम मुकाम कार्यवाही नहीं की। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से अपीलांट

का दावा खारिज किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को कोर्ट कैम्प राजस्व अदालत में रखकर निस्तारित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2014 को वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की कायम मुकाम की कार्यवाही में विचाराधीन थी तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.06.2016 नियत थी। पत्रावली नियत पेशी दिनांक 06.06.2016 को प्रस्तुत नहीं होकर **अचानक दिनांक 12.07.2016 को पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोट अटल सेवा केन्द्र पांचला खुर्द** में रखा गया, जिसकी सूचना पक्षकारान् दिये जाने अथवा नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख पत्रावली पर नजर नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय के जरिये दावा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। इन परस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12

जुलाई 2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई के आधार पर सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या एक के कायम मुकाम के संबंध में कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजला सुनाया गया।

दि. 14.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर